DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES
GOVT. OF N. C.T. OF DELHI
3RD FLOOR, PT. DEEP CHAND SHARMA SAHKAR BHAWAN,
SECTOR -20 PHASE-I, DWARKA NEW DELHI-110077
(AAMC CELL)
email: stateaamccelldelhi@gmail.com

Public Notice

IMPORTANT NOTE: Only online application will be accepted. Applications received through any other mode will be summarily rejected.

Online Applications are invited for the online written examination for empanelment of pharmacist & Mohalla clinic assistant (MCA) for manning an anticipated 1000 Aam Aadmi Mohalla Clinics in Delhi.

Opening date of online application: 13/04/2022 00:01 Hr
Closing date of online application: 30/04/2022 23:59 Hr
Date of online Written Examination: 16/05/2022 Time: will be notified in the E-admit Card

1. **Qualifications:**

S. No.	Category of Personnel	Essential Qualifications
1	Pharmacist	• Diploma in Pharmacy or Bachelor of Pharmacy • Registration with Delhi Pharmacy Council
2	Mohalla Clinic Assistant	• Completed Auxillary Nursing Midwifery (ANM) course or equivalent. • Registration with Delhi Nursing Council

2. **Remuneration:**

S No.	Category of Personnel	Remuneration
1	Pharmacist	Rs. 12/- per patient, with a minimum assured guarantee of 75 patients per day to be calculated on monthly basis.
2	Mohalla Clinic Assistant	Rs. 10/-per registered patient for OPD, additional remuneration as per following schedule: • Rs 30/- per ANC checkup • Rs. 10/- for each blood sample drawn by him/her • Rs. 10/- for each injection/immunization done by him/her at AAMC. Minimum assured guarantee of 75 patients per day to be calculated on monthly basis.

3. **Age Limit:**

S No.	Category of Personnel	Age Limit (As on last date of online submission of the form)
1	Pharmacist	20-50 years
2	Mohalla Clinic Assistant	20-50 years

4. **Application Fees & mode of payment:** Rs. 1500/- (Rupees Fifteen Hundred only) per candidate through online payment & there is no fees exemption for any category.
5. **Mode of Selection:** Online written examination (objective/multiple choice questions).
6. **Syllabus:** Syllabus shall include curriculum on essential qualification (80%), general awareness & basic computer knowledge (20%).
7. **Reservation Criteria:** There is no reservation policy adopted in the project of Aam Aadmi Mohalla Clinic for any category.
8. **Age relaxation:** There is no age relaxation for any category.
9. Date of submission of online application form: 13/04/2022 00:01 Hr to 30/04/2022 23:59 Hr.
10. Date of examination: 16/05/2022 Time: will be notified in the e-admit card
11. **Eligibility Criteria:**
    i. The candidate must be a citizen of India.
    ii. The educational qualifications, age, experience etc. as stipulated in the advertisement shall be determined as on the closing date of online submission of application.
12. No TA/DA is admissible for appearing in the examination.
13. Other terms and conditions of empanelment will be governed by the orders of the department of Health & Family Welfare, GNCTD issued from time to time.
14. The selection for empanelment does not entitle the candidates for regularization or permanent absorption.
15. The empanelled candidates shall be liable to work in any of the Mohalla Clinics anywhere in Delhi.
16. For any legal dispute, the jurisdiction of court will be Delhi or New Delhi

General Instructions for the applicants

1. Candidates are required to apply online only.
2. Candidates are required to apply Online using the website www.dshm.delhi.gov.in .
3. The online application form can be filled up-to the last date of submission of the online application after which the link will be disabled. Candidates are advised to submit the online application well in advance, without waiting for the last date.

4. Before filling-up application through online mode, the candidate should keep ready, the following details/ documents:
    i. Valid e-mail ID & Mobile Number.
    ii. Scanned copy of the required documents, recent passport size color Photograph (not older than 3 months) & scanned signature. Candidates should ensure that the same photograph is used throughout this empanelment process.
5. Scanned Copies of documents to be uploaded:

i.	Matriculation/10th Standard or equivalent certificate indicating date of birth/ birth certificate issued by the Competent Authority in support of the claim of age.
ii.	Degree/Diploma certificate as proof of educational qualification claimed. In the absence of Degree/Diploma certificate, provisional certificate will be accepted.
iii.	Valid Registration Certificate in Delhi Nursing Council for Mohalla Clinic Assistant (MCA) & Delhi Pharmacy Council for Pharmacist.

6. After submitting the Online Application, the candidates are required to preserve the print out of the finally submitted Online Application for the category of personnel applied for.
7. Neither the print out nor any document should be sent to the examination agency/concerned department at the time of applying for the category of personnel.
8. **E- Admit Card:** The candidates shall be issued e-Admit Card only. The provisionally admitted candidates will have to download their respective e-Admit Card for the category of Personnel concerned from the official website (www.dshm.delhi.gov.in). The candidate shall affix his/her latest photograph and sign in the space provided in the E-Admit Card. No admit card will be sent by post.
9. He/she must carry a valid Photo ID such as Driving License, Voter I- Card, Aadhaar Card, Identity Card issued by any Govt. Department /Office to the examination centre failing which he/she shall not be allowed to enter the examination centre under any condition/circumstances.
10. Applicants should avoid submitting multiple applications for one category of personnel. However, if any applicant submits multiple applications, then he/she must ensure that the application with higher RID (Registration ID) is complete in all respect. In case of multiple applications, the application with higher RID shall be entertained by the department. The earlier application shall stand rejected and fee paid against one RID shall not be adjusted against any other RID and will not be refunded.
11. The applicants must ensure that while filling their application forms, they are providing their valid and active E-mail IDs which will be used for electronic mode of communication while contacting them at different stages of examination/empanelment process.
12. **Documents/ Certificates:**
After declaration of result, the successful candidates will be called for verification of documents in the order of merit as per requirement of project time to time. The following original Documents/ Certificates and two sets of self-attested copies along with hard copy of print out of online application are to be produced at that time:
    i. Two recent passport size photographs.
    ii. Matriculation/10th Standard or equivalent certificate indicating date of birth/ birth certificate issued by the Competent Authority.
    iii. Aadhaar Card/Voter ID card.
    iv. Copy of Diploma/Degree & mark sheets of Qualifying Exam (Auxiliary Nursing Midwifery (ANM) course or equivalent exam for MCAs & D. Pharma/B. Pharma for Pharmacist).

v. Valid Registration Certificate in Delhi Nursing Council for MCA & Delhi Pharmacy Council for Pharmacist.
vi. Medical Fitness Certificate from Govt. Doctor/ Govt. Institution.
vii. Police verification certificate.

13. The categories of personnel advertised are provisional and for manning an anticipated 1000 Aam Aadmi Mohalla Clinics in Delhi. In case the Aam Aadmi Mohalla Clinic is reduced to any number or even nil, the examination agency/department is not liable to compensate the applicant for any consequential damage/ loss.
14. The department reserves the right to reject the candidature of any candidate at any stage of empanelment if it is found that he/she does not possess requisite qualification or has provided any false information or does not provide any of the documents mentioned above.
15. The department reserves the right to cancel a part of or entire process of examination due to administrative reason(s) and in case of unfair means, cheating or other irregularities/malpractice noticed by the department.
16. The Examination Agency in consultation with the Department reserves the right to cancel any centre of examination and ask the candidates of that centre to appear at another centre to take the examination. No request for change in date, time and centre of exam will be accepted under any circumstances.
17. The candidature of the candidate to the written Examination is entirely provisional and subject to the outcome of any direction/ decision/ order/ pronouncement of any Court of Law and mere issue of Admit Card or appearance at Examination does not entitle him/her to any claim for the empanelment.
18. The candidates should scrupulously follow the instructions given by the Centre Superintendent, Invigilators and all examination functionaries at every stage of examination. If a candidate violates the instructions, his/her candidature will be cancelled.
19. In case of any discrepancies among the English, Hindi, Urdu and Punjabi version of advertisement/ information, the English version will be treated as final.
20. If any candidate uses offensive/abusive/foul language / obscene picture he/she will be liable for necessary penal action under relevant provision of the IT Act.
21. Keep visiting www.dshm.delhi.gov.in for updates regarding this empanelment process.

Sd/-

Vice Chairperson, SHS (D), GNCTD

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES
GOVT. OF N. C.T. OF DELHI
3RD FLOOR, PT. DEEP CHAND SHARMA SAHKAR BHAWAN,
SECTOR -20 PHASE-I, DWARKA NEW DELHI-110077
(AAMC CELL)
e-mail: stateaamccelldelhi@gmail.com

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

<u>महत्वपूर्ण सूचना:</u>	केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

दिल्ली में एक अनुमानित 1000 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक के संचालन के लिए फार्मासिस्ट और मोहल्ला क्लिनिक सहायक (एम सी ए) के पैनल के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 13/04//2022 00:01 Hr
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 30/04/2022 23:59 Hr
ऑनलाइन लिखित परीक्षा की तिथि: 16/05/2022 समय: ई-प्रवेश पत्र में अधिसूचित किया जाएगा

1. योग्यता:

क्रम संख्या	कार्मिक श्रेणी	आवश्यक योग्यता
1	फार्मासिस्ट	• फार्मेसी में डिप्लोमा या फार्मेसी में स्नातक • दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के साथ पंजीकरण
2	मोहल्ला क्लिनिक सहायक	• ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी (ए एन एम) या उसके बराबर कोर्स पूरा किया हो। • दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के साथ पंजीकरण

2. पारिश्रमिक:

क्रम संख्या	कार्मिक श्रेणी	पारिश्रमिक
1	फार्मासिस्ट	रु. 12/- प्रति पंजीकृत रोगी (ओपीडी), प्रति दिन, 75 रोगियों की न्यूनतम गारंटी के साथ, पारिश्रमिक की गणना मासिक आधार पर की जाएगी।
2	मोहल्ला क्लिनिक सहायक	रु. 10/- प्रति पंजीकृत रोगी (ओपीडी) के लिए, अतिरिक्त पारिश्रमिक निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार: • रु 30/- प्रति ए एन सी चेकअप • रु. 10/- उसके द्वारा लिए गए प्रत्येक रक्त नमूने के लिए • रु. 10/- ए ए एम सी में उसके द्वारा किए गए प्रत्येक इंजेक्शन/टीकाकरण के लिए। प्रति दिन 75 रोगियों की न्यूनतम सुनिश्चित गारंटी के साथ, पारिश्रमिक की गणना मासिक आधार पर की जाएगी।

3. आयु सीमा :

क्रम संख्या	कार्मिक श्रेणी	आयु सीमा (ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार)
1	फार्मासिस्ट	20-50 वर्ष
2	मोहल्ला क्लिनिक सहायक	20-50 वर्ष

4. आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका: रु. 1500/- (पंद्रह सौ रुपये मात्र) प्रति उम्मीदवार ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से और किसी भी श्रेणी के लिए कोई शुल्क छूट नहीं है
5. चयन का तरीका: ऑनलाइन लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न)।
6. पाठ्यक्रम: पाठ्यक्रम में आवश्यक योग्यता (80%), सामान्य जागरूकता और बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान (20%) पर पाठ्यक्रम शामिल होगा।
7. आरक्षण मानदंड: आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की परियोजना में किसी भी श्रेणी के लिए कोई आरक्षण नीति नहीं अपनाई गई है।
8. आयु में छूट: किसी भी वर्ग के लिए आयु में कोई छूट नहीं है।
9. ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि: 13/04/2022, 00:01 Hr से 30/04/2022, 23:59 Hr तक
10. परीक्षा की तिथि: 16/05/2022, समय: ई-प्रवेश पत्र में अधिसूचित किया जाएगा
11. पात्रता मानदंड:
    i. उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए।
    ii. विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव आदि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।
12. परीक्षा में बैठने के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं है।
13. मनोनयन (Empanelment) के अन्य नियम और शर्तें, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समय-समय पर जारी आदेशों द्वारा शासित होंगी
14. इन कार्मिक श्रेणी के लिए मनोनयन (Empanelment) उम्मीदवारों को नियमितीकरण या स्थायी अवशोषण के लिए पात्र नहीं बनाता है।
15. पैनल में शामिल उम्मीदवार दिल्ली में कहीं भी किसी भी मोहल्ला क्लीनिक में काम करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
16. न्यायालय का कोई भी कानूनी विवाद क्षेत्राधिकार दिल्ली या नई दिल्ली होगा।

आवेदकों के लिए सामान्य निर्देश

1. उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है
2. उम्मीदवारों को वेबसाइट www.dshm.delhi.gov.in का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक भरा जा सकता है जिसके बाद लिंक अक्षम हो जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना, अग्रिम रूप से ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें।
4. ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन भरने से पहले, उम्मीदवार को निम्नलिखित विवरण / दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:
    i. वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर।

ii. आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी, हाल ही में खिचा पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो) और स्कैन किए गए हस्ताक्षर। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पैनल प्रक्रिया के दौरान एक ही तस्वीर का उपयोग किया जाता है।

5. दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां जिन्हें अपलोड करने की आवश्यकता है:

i	उम्र के दावे के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि/जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि को दर्शाने वाला मैट्रिक / 10 वीं कक्षा या समकक्ष प्रमाण पत्र।
ii	शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के रूप में दावा किया गया डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र। डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र के अभाव में, अनंतिम (Provisional) प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा।
iii	एम सी ए के लिए दिल्ली नर्सिंग काउंसिल और फार्मासिस्ट के लिए दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र।

6. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवारों को आवेदन किए गए कार्मिक श्रेणी के लिए अंतिम रूप से जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट सुरक्षित रखना आवश्यक है।
7. कार्मिक श्रेणी के लिए आवेदन करते समय न तो प्रिंट आउट और न ही कोई दस्तावेज परीक्षा एजेंसी/संबंधित विभाग को भेजा जाना चाहिए।
8. ई-प्रवेश पत्र: उम्मीदवारों को केवल ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। अनंतिम रूप से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित कार्मिक श्रेणी के लिए अपना संबंधित ई-प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dshm.delhi.gov.in) से डाउनलोड करना होगा। उम्मीदवार को ई-प्रवेश पत्र में दिए गए स्थानों पर अपना नवीनतम फोटो चिपकाना होगा और हस्ताक्षर करना होगा। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा
9. उसके पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना चाहिए जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव आई-कार्ड, आधार कार्ड, किसी भी सरकारी संस्थान से जारी किया गया पहचान पत्र। ऐसा न होने पर उसे किसी भी स्थिति/परिस्थितियों में परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
10. आवेदकों को एक कार्मिक श्रेणी के लिए कई आवेदन जमा करने से बचना चाहिए। हालांकि, यदि कोई आवेदक कई आवेदन जमा करता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उच्च RID (Registration ID) वाला आवेदन हर तरह से पूरा हो। कई आवेदनों के मामले में, विभाग द्वारा उच्च RID वाले आवेदन पर विचार किया जाएगा। पहले के आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा और एक RID के लिए भुगतान किया गया शुल्क किसी अन्य RID के खिलाफ समायोजित नहीं किया जाएगा और न ही वापस किया जाएगा।
11. आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र भरते समय, वे अपनी वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रदान कर रहे हैं, जिनका उपयोग उनसे परीक्षा / पैनल प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में संपर्क के लिए संचार के इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए किया जाएगा।
12. दस्तावेज़ / प्रमाण पत्र:

परिणाम घोषित होने के बाद, सफल उम्मीदवारों को योग्यता क्रम में समय-समय पर परियोजना की आवश्यकता के अनुसार दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। उस समय ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित मूल दस्तावेज / प्रमाण पत्र और स्व-सत्यापित प्रतियों के दो सेट प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य है:

i. दो हालिया पासपोर्ट साइज फोटो।

ii. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म तिथि/जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि को दर्शाने वाला मैट्रिक/10 वीं कक्षा या समकक्ष प्रमाण पत्र।

iii. आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड।

iv. योग्यता परीक्षा (एम सी ए के लिए सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी (ए एन एम) पाठ्यक्रम या समकक्ष परीक्षा और फार्मासिस्ट के लिए डी फार्मा/बी फार्मा) के डिप्लोमा/डिग्री और मार्कशीट की प्रति।

v. एम सी ए के लिए दिल्ली नर्सिंग काउंसिल और फार्मासिस्ट के लिए दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र।

vi. सरकारी डॉक्टर / सरकारी संस्थान से जारी किया गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट।।

vii. पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र।

13. विज्ञापित कार्मिक श्रेणियाँ अनंतिम (Provisional) और दिल्ली में एक अनुमानित 1000 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक के संचालन के लिए हैं। यदि उपयोगकर्ता विभाग द्वारा आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक को किसी भी संख्या या यहां तक कि शून्य तक कम कर दिया जाता है, तो परीक्षा एजेंसी/ विभाग किसी भी परिणामी क्षति / हानि के लिए आवेदक को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
14. विभाग भर्ती के किसी भी स्तर पर किसी भी अपात्र उम्मीदवार की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि यह पाया जाता है कि उसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है या उसने कोई गलत जानकारी दी है या ऊपर उल्लिखित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है,।
15. विभाग के पास, प्रशासनिक कारणों से या विभाग द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग, धोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं / कदाचार जैसे मामले पाये जाने पर, परीक्षा का एक हिस्सा या पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है ।
16. परीक्षा एजेंसी, विभाग के परामर्श से परीक्षा के किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए दूसरे केंद्र पर उपस्थित होने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखती है। परीक्षा की तिथि, समय और केंद्र में परिवर्तन का कोई अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
17. लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवारी पूरी तरह से अनंतिम (provisional) है और किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्देश/निर्णय/आदेश/घोषणा के परिणाम के अधीन है और केवल प्रवेश पत्र जारी करना या परीक्षा में उपस्थित होना उसे मनोनयन (Empanelment) के लिए किसी भी दावे का हकदार नहीं बनाता है।
18. उम्मीदवारों को परीक्षा के हर चरण में केंद्र अधीक्षक, निरीक्षक और सभी परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
19. विज्ञापन/सूचना के अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और पंजाबी संस्करण में कोई विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।
20. यदि कोई उम्मीदवार आपत्तिजनक/अपमानजनक/अभद्र भाषा/अश्लील तस्वीर का उपयोग करता है तो वह आई टी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान के तहत आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
21. पैनल में शामिल होने की इस प्रक्रिया से संबंधित अपडेट के लिए www.dshm.delhi.gov.in पर विजिट करते रहें।

Sd/-

Vice Chairperson, SHS (D), GNCTD